



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 37 राँची, शुक्रवार,

4 फरवरी, 2022 (ई०)

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

अधिसूचना

21 नवम्बर, 2021

झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021

संख्या--38वि.अं. (1) व.-2/14-450-- वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग के मूल पद वरीय अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4131, दिनांक-19.08.2021 के मद्देनजर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2011-सह-यथा संशोधित 2015 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(1) यह नियमावली झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2011-सह-यथा संशोधित 2015 के नियम-2 (क) को संशोधित करते हुए निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है:-

वरीय अंकेक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में से कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक होगी। प्रतियोगिता परीक्षा के तृतीय पत्र में वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना आवश्यक होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

3. उक्त नियमावली, 2011-सह-यथा संशोधित 2015 के नियम-3 को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वरीय अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली-2017 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021 में विहित प्रावधानों तथा समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु निर्धारित परीक्षा संचालन नियमावली के अधीन होगा परन्तु विशिष्ट विषयों (अर्थशास्त्र/गणित/वाणिज्य/सांख्यिकी) का पाठ्यक्रम राँची विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।

4. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-12.11.2021 में मद संख्या-20 के रूप में “ वित्त (अंकेक्षण) विभाग अंतर्गत झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2015 (संशोधित) के कंडिका 2(क) एवं 3 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।“

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

प्रधान सचिव

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।
